

संख्या 2980
06/10/18



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

नवीनीकरण संख्या 1221/2018-2019

फाइल संख्या F-27935

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि

बाबा गिरवनाथ किवपूल शिल्पग शीवा संस्थान

पता लुत्कम्बख ३, धौली पोस्ट व सहसूल शीवापुर जिला-भैजाबाद।

जो दिने गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र संख्या

1309/2008-09

दिनांक 27/08/2008

को दिनांक

27/08/2018

से प्राप्त करने की अवधि

के लिये नवीकृत किया गया है।

1150

समये की नवीकरण फीस सम्बन्धित रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक

06/10/2018

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
जिला प्रदेश

Registration and Societies Department
Bhopal, Madhya Pradesh

10. वैश्वी अभियानों में जैसी- बाघ, गुरुआ, अग्निपत्र, मुकुन्द, तुलना आदि में राहत कार्य करना एवं पीड़ित व्यक्तियों को हर सम्भव सहायता करना।
11. जलमय धुनि हेतु वैज्ञानिक खेती की विधियों का प्रचार-प्रसार करना तथा कृषकों को जलमय खेती एवं धुनि खेती की तकनीक की जानकारी प्रदान करना एवं भूदा जल तथा जल संरक्षण आदि के विरोध कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग करना तथा जैविक खेती के सम्बन्ध में किसानों को अवगत करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की निरन्तर व्यवस्था करना।
12. फल प्रसारण, फल एवं जल को बढ़ावा देने हेतु सेमिनार, गोष्ठी, वीथी आदि का आयोजन करना तथा वैज्ञानिक डेग से फलों एवं जल को लोगों को जानकारी देना एवं जैम, जैली, गुस्ता, आचार आदि का निरन्तर प्रशिक्षण देना।
13. धरती को खेजल में आग निर्भर बनाने हेतु बायो खेजल प्लांट (जेट्रोफा) का लगाना एवं भारत सरकार को योजना को संचालित करना तथा विद्यमान ऊर्जा से सम्बन्धित कार्य करना एवं लोगों को जागरूक करना।
14. बाल तथा बचुवा नजदूरी पर रोक लगाने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित कर विभिन्न कार्यक्रम को संचालित करना।
15. तकनीकी (आई० टी० आई०/पॉलीटेक्निक), प्राथमिक, मेडिकल, व्यवसायिक एवं आधुनिक शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं संचालन करना।
16. आंगणवाड़ी केंद्रों के उत्पादन में वृद्धि हेतु किसानों को प्रशिक्षित करना। आंगणवाड़ी के उत्पादन, कर्मचारी विभाग की व्यवस्था करना तथा उत्पादकों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देना।
17. स्वच्छ जल आपूर्ति हेतु चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे स्वजल, जलनिधि, जेजल मिशन, स्वच्छता अभियान तथा स्वजल द्वारा परियोजना का प्रचार-प्रसार एवं निरन्तर शिक्षा-प्रदान करना तथा महिला बस्तियों में जल प्रदाता, सौचालय, प्लांक, पीशला, पानी, हेमडायल आदि की व्यवस्था करना।
18. नृपक्षय संरक्षण, परिवार कल्याण, उत्तर धुनि सुधार, टीकाकरण, सामाजिक कानिनी, वृक्षारोपण, जनसंख्या नियंत्रण आदि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व संचालन करना।
19. स्वास्थ्य सुधार के अन्तर्गत स्वास्थ्य जागरूकता क्लिनिक, एड्स जागरूकता, हेमेटोफिल जागरूकता, टी० बी०, पीलेपानी, अंधता निवारण, कुष्ठ निवारण, कम रोग तथा निवृत्तता का उपचार करना, ग्रामीण क्षेत्र में फैलने वाली विभिन्न रोगों के प्रति जागरूकता फैला करना व बचाव करना।
20. समाज में व्याप्त अंधविश्वास दहेज, दहेज जलीदन, बाल विवाह आदि की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करना।

[Handwritten signatures and names in Hindi, including 'श्रीमती...', 'श्री...', 'श्री...', 'श्री...', 'श्री...', 'श्री...', 'श्री...', 'श्री...']



[Handwritten notes and signatures in Hindi, including 'नारायण प्रसिद्धि', 'श्री...', 'श्री...']

[Official footer text in Hindi, including 'National Council for Women's Empowerment', 'New Delhi', 'Phone: 26101111', 'Fax: 26101112', 'E-mail: ncew@vsnl.com', 'Website: www.ncew.org.in']

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : बाबा विरवनाथ शिशुशूल शिक्षण सेवा संस्थान।
2. संस्था का पूरा पता : ग्राम तुल्साबाद बामेली, पो 8 तह 0 बीकापुर
जिला फैजाबाद (उ०प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :
 - आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति निरन्तर एक से एक बार में 10000/- रुपये तक या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप से दान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।
 - सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 100/- रुपये वार्षिक पन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।
5. सदस्यता की समाप्ति :
 - 1. मृत्यु हो जाने पर।
 - 2. भागल या विधायिका हो जाने पर।
 - 3. संस्था की ज़िम्मेदारी करवाई करने पर।
 - 4. सजाया द्वारा दण्डित होने पर।
 - 5. विधायित रूप से सदस्यता मुक्त अथवा न करने पर।
 - 6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
 - 7. स्थान पत्र या अधिवेशन प्रस्ताव पारित होने पर।
6. संस्था के अंग :
 - अ. साधारण सभा
 - ब. प्रबंधकारिणी समिति।
7. साधारण सभा :
 - सदन : सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का सदन किया जायेगा।
 - बैठक : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतापूर्वक सभी को बुलाई जा सकती है।
 - सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित पत्रोंके से दिया जायेगा।
 - पारसूची : साधारण सभा के कुल सदस्यों की संख्या में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए पर्याप्त होगी।
 - वार्षिक अधिवेशन की तिथि : साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबंधकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की अनुमति से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अध्यक्ष :

प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन करना।

(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signature)
 2020/2021 (2)

8. प्रबंधकारिणी समिति
संरचना

सदस्य

सूचना अधिकारी

समयपूर्ति

वित्त स्थानी की पूर्ति

प्रबंधकारिणी समिति के कर्तव्य

- (2)
2. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
4. नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन साधारण सभा द्वारा 2/3 सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबंधकारिणी का गठन होगा, जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, सचिव/प्रबन्धक एक, उपप्रबन्धक एक, सहायक एक, कोषाध्यक्ष एक, तथा अन्य 5 सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल सद 11 होंगी।

प्रबंधकारिणी समिति को सामान्य बैठक वर्ष में एक बार और विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों की सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित एजेन्डे से की जायेगी।

प्रबंधकारिणी समिति की समयपूर्ति के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी, परन्तु समयपूर्ति के अभाव में एक बैठक स्थगित होने पर पुनः बुलाई गयी दूसरी बैठक के लिए समयपूर्ति का कोई प्रतिबन्ध न रहेगा।

प्रबंधकारिणी समिति यदि कोई भी आवश्यक स्थान विस्तार होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संभव कार्यकाल के लिए की जायेगी।

1. संस्था के उन्नति एवं प्रगति के लिए आवश्यक कार्य करना।

2. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

3. संस्था की वार्षिक बजट कार्य योजना तैयार करना।

4. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सामाजिक बोर्ड, राष्ट्रीय कार्ययोग बोर्ड, समाज कल्याण दिवस, विदेशी संस्थाओं एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण, धन्य अनुदान व दान प्राप्त करना तथा भूमि-पहन दान स्वच्छ प्राप्त करना एवं भवन आदि का निर्माण करना।

प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।


9. प्रबंधकारिणी समिति को महाधिकारिणी के अधिकार व कर्तव्य

अध्यक्ष

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।

2. बैठकों के लिए दिनांक का अनुसंधान, परिवर्तन एवं स्थगित करना।

Handwritten notes in Hindi, including "संस्था" and "संस्था" written vertically.



Handwritten notes and signatures in Hindi, including "संस्था प्रतिक्रिया" and "कार्यकाल" with a signature.

दादा विश्वनाथ शिवपूल शिक्षण सेवा संस्थान
 ग्राम तुलसाबाव बटौली, पी० व तह० बीकानपुर, जिला कैलाशवाड
 की प्रबन्ध समिति की सूची
 वर्ष 2018-2019


क्र०	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री शिव कुमार सिंह पुत्र स्व० दूधनाथ सिंह	ग्राम व पी० मलेशू कनक, तह० बीकानपुर जिला कैलाशवाड।	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री संजय सिंह पुत्र श्री शिव कुमार सिंह	राजपुर जिला, नं० नं० 141 ए०बी० केदार गांव मंगरीक, नूरपुर।	उपाध्यक्ष	व्यापार
3.	श्री दिनेशचन्द्र सिंह पुत्र श्री शिव कुमार सिंह	ग्राम व पी० मलेशू कनक, तह० बीकानपुर जिला कैलाशवाड।	सचिव/ प्रबन्धक	कृषि
4.	श्री रमेश कुमार सिंह पुत्र श्री राज नारायण सिंह	ग्राम तुलसाबाव बटौली, पी० अरकल जिला कैलाशवाड।	उपाध्यक्ष	कृषि
5.	श्री सुमित सिंह पुत्र श्री संजय सिंह	ग्राम व पी० मलेशू कनक, तह० बीकानपुर जिला कैलाशवाड।	उपाध्यक्ष	कृषि
6.	श्री शैलेश सिंह पुत्र श्री राम अमित सिंह	ग्राम भावताना, पी० बमटा, जिला मुलतानपुर।	सोसायल	कृषि
7.	श्री विभूवन सिंह पुत्र श्री जयशाम सिंह	ग्राम जहानपुर, पी० जयका, तह० मिल्कीपुर जिला कैलाशवाड।	सदस्य	कृषि
8.	श्री विजय ज्ञान सिंह पुत्र श्री गीरी शंकर सिंह	ग्राम व पी० मया, तह० पीटी जिला अर्धदकाननगर।	सदस्य	कृषि
9.	श्री रमेश सिंह पुत्र श्री राम कुमार सिंह	ग्राम व पी० मलेशू कनक, तह० बीकानपुर जिला कैलाशवाड।	सदस्य	कृषि
10.	श्री वृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम प्रताप सिंह	ग्राम तीरगांव, पी० बन्दौर, जिला मुलतानपुर।	सदस्य	कृषि
11.	श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलराम सिंह	ग्राम व पी० जनुरी, जिला मुलतानपुर।	सदस्य	कृषि

प्रमुख
 अध्यक्ष
 सचिव
 उपाध्यक्ष
 उपाध्यक्ष
 उपाध्यक्ष
 उपाध्यक्ष
 उपाध्यक्ष
 उपाध्यक्ष
 उपाध्यक्ष
 उपाध्यक्ष

प्रबन्ध समिति
 का
 अध्यक्ष
 श्री शिव कुमार
 दादा विश्वनाथ शिवपूल शिक्षण सेवा संस्थान
 बटौली (कैलाशवाड)

श्री विश्वनाथ शिवपूल
 शिक्षण सेवा संस्थान
 तुलसाबाव बटौली, बीकानपुर
 जिला कैलाशवाड (उ.प्र.)

सुयोग्य ऑडिटर द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष : अप्रैल से 31 मार्च होगा।

13. संस्था के द्वारा अथवा उसके वित्तज्ञ अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :
संस्था द्वारा होने वाले समस्त अदालती कार्यवाही की परती प्रबन्धक द्वारा की जायेगी या उसके द्वारा किसी अन्य अधिकृत समिते द्वारा की जायेगी।
14. दायित्व : संस्था की प्रवाल जमी की अदायगी उसकी उत्पत्तिगत एवं सुरक्षा का दायित्व सभी सदस्यों का सामूहिक एवं पृथक-पृथक रूप से होगा। आवश्यकता पड़ने पर बहारी दायित्वी के लिए सदस्य अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति जमानत दे देंगे। यह दायित्व कम अदायगी तक कम रहेगा।
15. संस्था के अमिलेख :

 - 1. सदस्यता रजिस्टर
 - 2. कार्यवाही रजिस्टर
 - 3. एकेण्डा रजिस्टर
 - 4. स्टॉक रजिस्टर
 - 5. बैंक बुक आदि
16. संस्था के विद्यतन एवं विद्यतित समिति के निम्नलिखित शीताइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्या प्रमाणित

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

हस्ताक्षर

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature
 Bina Viharani, Secy Proff
 English Seva Sansthan
 (Ward No. 10, Sector 10, Gurgaon)
 Gurgaon (H.P.)

